भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1603
जिसका उत्तर 10 फरवरी, 2021 को दिया जाना है।
21 माघ, 1942 (शक)

आधार कार्ड में पता बदलता

1603. श्री विवेक नारायण शेजवलकर :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आधार कार्डधारकों द्वारा आधार कार्ड में पता बदलने के निवेदन के आधार पर सरकार का आधार कार्ड से जुड़े सभी दस्तावेजों में पते में परिवर्तन की प्रक्रिया को स्वचालित बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे)

(क) और (ख): जी , नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मंत्रालयों और विभागों और अन्य अनुरोधकर्ता इकाईओ, जिन्होंने लाभार्थियों की अपनी सूची (जैसे राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड आदि) में आधार को सीड किया है वह आधार ईकेवाईसी प्रमाणीकरण को संचालित कर सकते हैं, यदि इसे आधार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों और इसके अंतर्गत तैयार विनियमों के अनुसार आधार में उपलब्ध डेटा को प्राप्त करने के लिए निवासी की विशिष्ट सहमति से अनुमति दी जाती है।

****